

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्डुनू
पीठासीन अधिकारी श्री अनूप सिंह (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 87/2016

दायर दिनांक-26.04.2016

1. दिनेश कुमार पुत्र श्री घासीराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नम्बर 42 सुर्यनगर पिपराली रोड सीकर तहसील व जिला सीकर।
2. हरदयाल सिंह पुत्र दानाराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नम्बर 42 सुर्यनगर पिपराली रोड सीकर तहसील व जिला सीकर।

- वादीगण

बनाम

1. इन्द्रजीत
2. दारासिंह
3. अरविन्द पुत्रान् प्रभात
4. मनभरी पत्नी प्रभात
5. केशरीदेवी पत्नी भागीरथ
6. मदन
7. महेन्द्र
8. राजू
9. विनोद
10. रणजीत पुत्रान् भागीरथ
11. रामनिवास पुत्र गुटा
12. सुरेश
13. राहुल पुत्रान् बाबूलाल
14. चूकी
15. छोटी पुत्रियां गुटा
16. समदरलाल पुत्र मुकन्दाराम (फौत न्याया.आदेश 10.04.2017)
- 16/1 मोहनी देवी पत्नी स्व० समदरलाल
- 16/2 रघुवीर
- 16/3 पवन कुमार
- 16/4 संदीप कुमार पुत्रान् स्व० समदरलाल
- 16/5 बिन्दू
- 16/6 बबीता पुत्रियां स्व० समदरलाल
17. दयानन्द पुत्र मुकन्दाराम समस्त जाति मेघवाल निवासी बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू
18. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ़।
19. शाखा प्रबन्धक शेखावाटी ग्रामीण बैंक (रा.ब.क्षै.ग्रा.बैंक) शाखा झाझड़ तहसील नवलगढ़

-प्रतिवादीगण

वकील वादी : - श्री विजेन्द्र सिंह दूत

वकील प्रतिवादी :- राज पैरोकार

दावा विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय

दिनांक -15-02-2021

वाद वादी दिनांक 20.04.2018 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ़ को गोका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

रिपोर्ट पत्रांक भूअ./1363 दिनांक 08.09.2020 प्रस्तुत करने पर वहस वकील पक्षकारान् सुनी गई।
मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने में वकील पक्षकारान् द्वारा सहमति जाहिर करने पर पत्रावली
अवलोकन किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

उक्त वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग
है। ग्राम बसावा की भूमि ख.नं. 283, 284, 289 रकबा क्रमशः 1.47, 0.51, 1.19 हैक्टर कुल किता 03 कुल
रकबा 3.17 हैक्टर का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

1. ग्राम बसावा की भूमि ख.नं. 284/1, 283/3 रकबा क्रमशः 0.1150, 0.1275 हैक्टर कुल किता 02 कुल
रकबा 0.2425 किस्म बारानी द्वितीय लगान 0.52 का दिनेश कुमार पुत्र घासीराम जाति मेघवंशी सा. वार्ड
नम्बर 42 सुर्यनगर पिपराली रोड़ सीकर साकिन खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. ग्राम बसावा की भूमि खसरा नम्बर 283/2 रकबा 0.5500 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय लगान 2.44 का
हरदयाल सिंह पुत्र दानाराम जाति मेघवंशी निवासी वार्ड नम्बर 42 सुर्य नगर पिपराली रोड़ सीकर
साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. ग्राम बसावा की भूमि खसरा नम्बर 283/1 रकबा 0.7925 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय लगान 3.52 का
इन्द्रजीत, दारासिंह, अरविन्द पिता प्रभात हिस्सा 3/4 मनभरी पत्नी प्रभात हिस्सा 1/4 जाति मेघवंशी
साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. ग्राम बसावा की भूमि खसरा नम्बर 289/1, 284/2 रकबा क्रमशः 0.3975, 0.3950 हैक्टर कुल किता 02
कुल रकबा 0.7925 किस्म बारानी द्वितीय लगान 1.26 का केशरी देवी पत्नी भागीरथ, मदन, महेन्द्र, राजू,
विनोद, रणजीत पिता भागीरथ हिस्सा 1/5, रामनिवास पुत्र गुटा हिस्सा 1/5, सुरेश, राहूल पिता
बाबूलाल हिस्सा 1/5, चूकी, छोटी पुत्रिया गुटा हिस्सा 2/5 जाति मेघवंशी सा0 देह खातेदार राहिन
खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
5. ग्राम बसावा की भूमि खसरा नम्बर 289/2 रकबा 0.7925 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय लगान
3.52 का मोहनी देवी पत्नी स्व. समदरलाल, रघुवीर, पवन कुमार, संदीप कुमार पिता स्व. समदरलाल,
बिन्दू, बबीता पुत्रियां समदरलाल हिस्सा 1/2 हि.ब. दयानन्द पिता मुकन्दाराम हिस्सा 1/2 जाति मेघवंशी
साकिन देह खातेदार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर
राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया
जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान् संतुष्ट नहीं है तो पक्षकारान् अपीलीय
न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फँसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद
तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15-02-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया
गया।

(अनुप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
श्री अनूप सिंह (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

**वाद पत्र विविधत विभाजन
एवं स्थाई निषेधाज्ञा।**

मुकदमा नम्बर 87/2016

(दिनेश कुमार बनाम इन्द्रजीत वगैरह)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरु श्री अनूप सिंह (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी, वकील वादीगण मनजानिव मुद्दई रूबरु वकील प्रतिवादीगण मनजानिव- मुद्दालय पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्ली दी जाती है।

निर्णय दिनांक 15.02.2021 निर्णय वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम बसावा की भूमि ख.नं. 283, 284, 289 रकबा क्रमशः 1.47, 0.51, 1.19 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 3.17 हैक्टर का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

1. ग्राम बसावा की भूमि ख.नं. 284/1, 283/3 रकबा क्रमशः 0.1150, 0.1275 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 0.2425 किस्म वारानी द्वितीय लगान 0.52 का दिनेश कुमार पुत्र घासीराम जाति मेघवंशी सा. वार्ड नम्बर 42 सुर्यनगर पिपराली रोड सीकर साकिन खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. ग्राम बसावा की भूमि खसरा नम्बर 283/2 रकबा 0.5500 हैक्टर किस्म वारानी द्वितीय लगान 2.44 का हरदयाल सिंह पुत्र दानाराम जाति मेघवंशी निवासी वार्ड नम्बर 42 सुर्य नगर पिपराली रोड सीकर साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. ग्राम बसावा की भूमि खसरा नम्बर 283/1 रकबा 0.7925 हैक्टर किस्म वारानी द्वितीय लगान 3.52 का इन्द्रजीत, दारासिंह, अरविन्द पिता प्रमात हिस्सा 3/4 मनमरी पत्नी प्रमात हिस्सा 1/4 जाति मेघवंशी साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. ग्राम बसावा की भूमि खसरा नम्बर 289/1, 284/2 रकबा क्रमशः 0.3975, 0.3950 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 0.7925 किस्म वारानी द्वितीय लगान 1.26 का केशरी देवी पत्नी भागीरथ, मदन, महेन्द्र, राजू, विनोद, रणजीत पिता भागीरथ हिस्सा 1/5, रामनिवास पुत्र गुटा हिस्सा 1/5, सुरेश, राहूल पिता बाबूलाल हिस्सा 1/5, चूकी, छोटी पुत्रिया गुटा हिस्सा 2/5 जाति मेघवंशी सा0 देह खातेदार राहिन खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
5. ग्राम बसावा की भूमि खसरा नम्बर 289/2 रकबा 0.7925 हैक्टर किस्म वारानी द्वितीय लगान 3.52 का मोहनी देवी पत्नी स्व. समदरलाल, रघुवीर, पवन कुमार, संदीप कुमार पिता स्व. समदरलाल, विन्दू, बबीता पुत्रियां समदरलाल हिस्सा 1/2 हि.ब. दयानन्द पिता मुकन्दाराम हिस्सा 1/2 जाति मेघवंशी साकिन देह खातेदार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

जन.....-..... मुबलिंग.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह.....-.....फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक-.....का अदा करे।

वसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 15.02.2021 को जारी की गई।

(अनूप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ
नवलगढ

मुद्दई	रुपया पैसे	मुद्दासलह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	5.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	2.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	-	स्टाम्प अर्जी	-
महनताना वकील	-	महनताना वकील	-
खर्चा गवाहान	-	खर्चा गवाहान	-
फीस कमिश्नर	-	फीस कमिश्नर	-
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	बाबत इजराय हुक्मनामा	-
मुताफरिक मिजान	6.00	मुताफरिक मिजान	0.00